न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 34/2020 रा0रा0अ0

रामकरण पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी ग्राम चूडियावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0

...प्रार्थी

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, रावत पैलेस होटल के पीछे, दौसा
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956

उपस्थित— 1. श्री अशोक बटवाल, अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष की ओर से
2. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

निर्णय दिनांक: 04.01.2022

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थी की भूमि वाके ग्राम चूडियवास के पारित संरचना अवार्ड में प्रार्थी का पाटोलपोश मकान का मुआवजा अवार्ड डी बी 478 एल.एच.एस. की मुआवजा राशि एक गुना की गई एवं अवाप्त भूमि खसरा नंबर 368/1040 में बनी हुई रसोई का मुआवजा अवार्ड पारित नहीं किया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान से टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाइवे 06 लेन के निर्माण हेतु ग्राम चूंडियावास की भूमि अवाप्ति की जा रही है। जिसमें सरकार के आदेशानुसार डी0एल0सी0 रेट के मुताबिक जमीन का ढाई गुना व निर्माण कार्य का दो गुना दर के हिसाब से मुआवजा राशि अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजाधारियों को वितरित की जा रही है। भारत सरकार के आदेशानुसार प्रार्थीगण की पटटेशुदा भूमि एवं उसमें निर्मित पुख्ता निर्माणात को उक्त परियोजना के तहत अवाप्त किये जाने की दशा में जमीन का डी0एल0सी0 दर के मुताबिक ढाई गुना एवं व निर्माण कार्य दो गुना की दर के हिसाब से मुआवजाराशि सभी मुआवजाधारियों को कानूनन वितरित किये जाने बाबत आदेशित किया हुआ है तथा इसी दर से अन्य मुआवजाधारियों को भी मुआवजा राशि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वितरित की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के पाटोलपोश मकान जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 300 में स्थित है, जिसे खसरा नंबर 368/1038 में गलत दर्शित करते हुए मुआवजा अवार्ड डी बी 478 (एल.एच.एस.) की मुआवजा राशि एक गुना 1,44,050/– रू0 निर्धारित की गई तथा उक्त पाटोलपोश मकानात के पास ही प्रार्थी की पाटोलपोश पुख्ता रसोई जो कि 10 फीट गुणा 10 फीट लंबी चौडी है जो कि ख0नं0 368/1040 में स्थित है, की कोई मुआवजा राशि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दी जाने वाली उपरोक्त मुआवजा राशि में शामिल नहीं की गई, जिसे प्रार्थी कांनूनन अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ व भोला भाला व्यक्ति है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त मुआवजा राशि निर्धारित किये जाने बाबत व्यक्तिशः कोई सूचना नहीं दी गयी। उक्त विचाराधीन आदेश की नकल दिनांक 06.01.2020 के साथ उक्त विषयक आपत्ति प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 02 के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी की आपत्ति प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने बाबत सांत्वना दी गई। तत्पश्चात कोरोनाकाल के कारण लॉकडाउन होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं की गई अन्ततः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किसी प्रकार का विधिक आदेश पारित करने से माह अगस्त के प्रथम सप्ताह में यह कहते हुए इन्कार किया गया कि उनके द्वारा अब कानूनन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। प्रार्थी माननीय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष कांनूनी कानूनन अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर उसका विधि सम्मत निस्तारण करवा सकते है। जिसके फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा पुनः मुआवजा राशि आदेश की नकल दिनांक 17.8.2020 को प्राप्त कर अविलंब उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 02 भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान का आदेश भूमि अवाप्ति अधनियम के मेन्डेट्री प्रावधानों के विपरीत होने के कारण भी संशोधन योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की निर्धारित की गई मुआवजा राशि 1,44,050/–रूपये की दो गुना एवं प्रार्थी की पुख्ता पाटोलपोश रसोई जो कि खसरा नबर 368/1040 में बनी हुई है, की नियमानुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जाकर संशोधित अवार्ड पारित करवाया जाकर प्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान दिलवाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 द्वारा बहस में दलील दी है कि भारत सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली ने व्यापक लोकहित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के 170.8 किमी से 210 किमी (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेसवे) के निर्माण (आठ लेन का बनाने आदि) हेतु प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों के पालन करने के लिए भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को सक्षम अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को जारी की गई थी। सक्षम प्राधिकारी ने इस अधिसूचना के प्रकाशन में स्पष्ट रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि धारा 3 सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3 सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर उस आपत्ति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। अधिनियम की धारा 3 सी (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा 3 सी के अंतर्गत प्राप्त समस्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी गई, जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 29.11.2018 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 19.12.2018 को प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें खसरा नंबर 368 / 1038 की 0.0343 है0 किस्म गै0मु0 आबादी खातेदार भूली पत्नि रामस्वरूप, रामोतार, छुटटन, धर्मसिंह पि.रामस्वरूप, जाति मीना निवासी चूडियावास एवं अधिसूचना दिनांक 27.6.2019 जारी की गई जो कि भारत के राजपत्र में दिनांक 28.6.2019 को प्रकाशित की गई थी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 12.7.2019 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें खसरा नंबर 368 / 1040 गै0मु0आबादी की 0.08है0 भूमि कजोड पुत्र छीतर, भोंरी पुत्री छीतर, राजेश पुत्र मूल्या, रघुनाथ पुत्र रेवड, श्रीनारायण विनोद पि0 रामनाथ, चौथ्या, प्रभात, बद्री पि0 रणजीता, प्रभाती पत्नि रामफूल, कृष्ण, हरकेश पि0 रामफूल, ममता, रामोती, पूजा पुत्री रामफूल, छोटी पत्नि गोपीराम, लल्लूप्रसाद नाबा0पुत्र गोपीराम सा0 चूडियावास भी सम्मिलित है, जो केन्द्र सरकार में अंतिम रूप से निहित हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अधिग्रहित उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए व डी के अंतर्गत जो अधिसूचना जारी की गई है, उसके द्वारा खसरा नंबर 368 / 1038 की 0. 0343है0 किस्म गै0मु0आबादी वाके ग्राम चूडियावास दर्ज थी, जिसका मुआवजा खातेदार को भूमि की किस्म की डी0एल0सी0 दर के आधार पर कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी(1) के अंतर्गत घोशणा के प्रकाशन के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थी की भूमि भी सम्मिलित है, जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के अंतर्गत प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी मुआवजा निर्धारण से पूर्व संबंधित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजे के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन कर संबंधित खातेदार / हितधारी व्यक्तियों से भूमि, संरचना के मुआवजे के संबंध में नोटिस प्रकाशन से 21 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी आपत्तियां उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, उनका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के संबंध में दिनांक 06.01.2020 को अपना अवार्ड पारित कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं निर्माण का मुआवजा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राशि का निर्धारण कराया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि की मौके की स्थिति, भूमि का प्रकार, भूमि की किस्म, सडक सीमा के पास या दूर, उप पंजीयक से प्राप्त डी0एल0सी0 दर के आधार पर की गई। अवाप्तशुदा भूमि के सर्वे के दौरान पाये गये निर्माण आदि के मुआवजा का निर्धारण राजस्थान सरकार के बेसिक शिड्यूल ऑफ रेट के आधार पर किया गया। धारा 3 एच के तहत अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि की निर्धारित डीएलसी दर के मुताबिक मुआवजा राशि निर्धारित की गई। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 368/1038 की 0.0343है0 गै0मु0आबादी भूमि अवाप्त की गई। खसरा नंबर 368/1038 पर निर्मित संरचना एवं निर्माण के संबंध में अर्जित भवन इत्यादि परिसंपत्ति का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर नियमानुसार मौका एवं रिकार्ड की जांच कराकर संबंधित खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में स्ट्रक्चर कोड डीबी 478 एलएचएस चैनेज संख्या 199 प्लस 240 के द्वारा प्रार्थी को नेट वैल्यू 1,44,050/–रू0 एवं मूल दर का 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि 0 कुल 1,44,050/–रू0 प्रतिकर राशि निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सक्षम अधिकारी को निर्धारित मुआवजे की राशि उनके कार्यालय में जमा करवा दी गई है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जांच के आधार पर एवं संरचनाओ के खसरा नंबर, रकबा, खातेदार व हितबद्ध व्यक्तियों के रिकार्ड की तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा की गई जांच के आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा खसरा नंबर 368/1038 पर निर्मित संरचना एवं निर्माण के संबंध में अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा जारी पोलिसी की गाईडलाईन के अनुसार बनाया गया है। उक्त गाईडलाईने के मुताबिक ही सरकारी भूमि में अवस्थित निजी संरचनाओं के मुआवजे पर तोषण देय नहीं है। प्रार्थी अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित अवार्ड जो संपूर्ण रिकार्ड, मौका रिपोर्ट एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि राजस्व ग्राम चूडियावास स्थित संरचना संख्या डी0बी0 478 एल.एच.एस. को खसरा नंबर 368/1038 में दर्शाकर कुल 1,44,050/–रू0 मुआवजा राशि का प्रार्थी रामकरण पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी चूडियावास के नाम मुआवजा राशि का अवार्ड खसरा नंबर 368/1038 ग्राम पंचायत (राजस्थान सरकार) खाते में होने से एक गुना दर से जारी किया गया है। अवाप्ताधीन संरचना का मूल्यांकन राजस्व कर्मचारियों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियो/कार्मिको के द्वारा जांच उपरांत जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चूडियावास स्थित संरचना डी0बी0 478 एल.एच.एस.को खसरा संख्या 368/1038 में दर्शा कर कुल 1,44,050/–रू0 मुआवजा राशि का अवार्ड खसरा नंबर 368/1038 ग्राम पंचायत (राजस्थान सरकार) के खाते में होने से एक गुना दर से जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाई गई। तहसीलदार नांगल राजावतान ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि ग्राम चूडियावास स्थित संरचना संख्या डी0बी0 478 एल. एच.एस. में रामकरण पुत्र हरपाल जाति मीना के चार गह पाटोल ख0नं0 300 में तथा एक रसोई 368/1039 में स्थित है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम चूडियावास के खसरा नंबर 300 में स्थित है, का मुआवजा अवार्ड डी बी 478 (एल.एच.एस.) की मुआवजा राशि एक गुना 1,44,050/–रू0 निर्धारित की गई तथा साथ ही प्रार्थी की पाटोलपोश पुख्ता रसोई जो कि ख0नं0 368/1039 में स्थित है, की कोई मुआवजा राशि अप्रार्थीगण के नाम निर्धारित नहीं की गई है। पत्रावली में संलग्न उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम चूडियावास स्थित संरचना डी0बी0 478 एल.एच.एस.को जो कि वास्तव में खसरा संख्या 300 में है, को खसरा नंबर 368/1039 ग्राम पंचायत (राजस्थान सरकार) के खाते में दर्शा कर कुल 1,44,050/–रू0 मुआवजा राशि का अवार्ड जारी किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार नांगल राजावतान से करवाने पर तहसीलदार नांगल राजावतान ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है कि ग्राम चूडियावास स्थित संरचना संख्या डी0बी0 478 एल.एच.एस. में रामकरण पुत्र हरपाल के चार गह पाटोल ख0नं0 300 में तथा एक रसोई 368/1039 में स्थित है। इस प्रकार भूमि अवाप्ति अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित अवार्ड में प्रार्थी की रसोई का अवार्ड आदेश पारित नहीं किया गया है साथ ही प्रार्थी की चार गह पाटोल खसरा नंबर 300 खातेदारी भूमि में है, जिसको खसरा नंबर 368/1038 ग्राम पंचायत (राजस्थान सरकार) के खाते में बताकर एक गुना राशि से अवार्ड आदेश पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड में संरचना संख्या डी0बी0 478 (एल.एच.एस.) जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 300 में स्थित है, को खसरा नंबर 368/1038 ग्राम पंचायत (राजस्थान सरकार) के खाते में दर्शाकर एक गुना दर से अवार्ड आदेश पारित किया गया है। अतः हम प्रार्थी की खसरा नंबर 368/1039 में अवाप्तशुदा भूमि में बनी हुई संरचना पाटोलपोश रसोई आ जाने से एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा उसके मुआवजे का कोई अवार्ड पारित नहीं किये जाने एवं संरचना संख्या डी0बी0 478 (एल.एच.एस.) जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा

नंबर 300 में स्थित है, को खसरा नंबर 368 / 1038 ग्राम पंचायत (राजस्थान सरकार) के खाते में दर्शाकर एक गुना दर से अवार्ड आदेश पारित किया गया है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी को वैधानिक लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित अवार्ड ग्राम चूडियावास के प्रार्थी के पारित संरचना अवार्ड के कम संख्या 02 को निरस्त किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रषित किया जाता है कि निर्णय के आलोक में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में स्थित संरचना का पुनः अवार्ड पारित करे। साथ ही प्रार्थी की पाटोलपोश रसोई जो कि खसरा नंबर 368 / 1039 में स्थित है, का न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः सक्षम एजेन्सी से सर्वे करवाया जाकर अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित रसोई की संरचना का पुनः अवार्ड पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा